

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
33/प्रा.पत्र रेफ./2012	20.09.2012	21.06.2018

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0) - प्रार्थी

- बनाम -

सुन्दर लाल, रामकिशोर, चेत सिंह, मन्ना लाल, बद्री लाल, रामसागर पिसरान जन्शी मु0 काली बेवा जन्सी जाति मीणा, निवासी, पीपरवाला तहसील, नैनवां जिला जिला बून्दी।

- अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 (2)
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से - परोकार सरकार।

अप्रार्थी की ओर से - एकपक्षीय कार्यवाही।

-: निर्णय :-

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, नैनवां ने अन्तर्गत धारा 82 (2) भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 20.09.2012 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवां, जिला बून्दी का खसरा नम्बर 145 रकबा 03 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2001-2004 में किस्म नाली राजकीय दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि भू प्रबन्ध सम्वत् 2028-47 में नवीन खसरा संख्या 132 रकबा 03 बिस्वा भूमि को खातेदारी में अंकित करने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। अप्रार्थीगण के खाते में अंकित की गई भूमि एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 29.05.2012 के विपरित अप्रार्थीगण के नाम अंकित होने से निरस्त योग्य है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के मध्य नजर रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज उक्त भूमि को खाते से निरस्त फरमाया जाकर पूर्ववत स्थिति अनुसार किस्म नाली राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।



अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 07.06.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


बहस पेरोकार सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क पेश किये कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2001-2005 में किस्म नाली दर्ज थी जो पानी के बहाव के काम में आती थी। भूमि की किस्म नाली होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विपरित भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी दी गई है। जो नियम विरुद्ध है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को भिजवाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार व उसके साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2001-2005 में खसरा नम्बर 145 रकबा 03 बिस्वा किस्म नाली दर्ज थी। उक्त भूमि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 132 रकबा 03 बिस्वा अप्रार्थीगण के खातेदारी में शामिल होकर अप्रार्थीगण खातेदार है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी दी गई है। जो नियम विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या-11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 में ऐसी भूमियों पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है एवं खातेदारी निरस्त किये जाने के निर्देश है। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विपरित भी खातेदारी अधिकार दिये गये है जो निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान खसरा संख्या 132 रकबा 03 बिस्वा वाके ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवां को पूर्व की भांति किस्म नाली राजकीय भूमि दर्ज करने के लिये प्रकरण (प्रा.पत्र रेफरेन्स) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान-अजमेर को भिजवाई जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


21.6.18
(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)